न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या-61/2018-19

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

घासी मुण्डा बनाम कुलोवती देवी

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – घासी मुण्डा, पिता–स्व० देवान मुण्डा, ग्राम–कोकरोडीह पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–मुण्डा पेशा–खेती।

क्रेता का नाम एवं पता – कुलोवती देवी, पति–रामेश्वरमहली, ग्राम–कोकरोडीह पे०–राहे, थाना–सोनाहातु (आा०पी०राहे) जिला–राँची जति–मुण्डा पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री मनोज कुमार चौधरी।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–20/02/18 को आवेदन देकर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा –46(i)a के तहत क्रेता कुलोवती देवी, पति–रामेश्वरमहली, ग्राम–कोकरोडीह, पो०राहे,थाना–सोनाहातु,(ओ०पी०राहे) के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं:–

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
कोकरोडीह	सोनाहातु/101	95	351	0.05 ए०

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया हैं।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–395(ii) दिनांक–29/06/18 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

(1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत का नाम सोमा मुंडा, लगान पानेवाला महाराजा प्रताप उदय नाथ सहदेव है।

(2) विक्रेता पंजी–II रैयत के पुत्र है।

(3) पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम देवान मुंडा है। तथा रैयत के पास कुल–3.59 एकड़ भूमि है।

(4) जमीन का मालगुजारी वर्ष 2016–17 तक वसूली गयी है।

(5) आवेदक जमाबंदी रैयत के पुत्र है। तथा जमाबंदी खतियानी के आधार पर कायम है।

(6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन कायमी एवं घरवाड़ी किस्म की है।

(7) प्रस्तावित जमीन बिक्री के पश्चात आवेदक के पास इस खाते में रकबा–3.54 एकड़ भूमि शेष रह जाएगा।

(8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को बिमारी का इलाज कराने हेतु विक्रय करना चाहते है।

(9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो ही आदिवासी समुदाय के सदस्य है।

(10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही पुलिस थाना अंतर्गत के है तथा एक ही गाँव के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a के तहत विक्रेता घासी मुण्डा, पिता–स्व० देवान मुण्डा, ग्राम–कोकरोडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को क्रेता कुलोवती देवी, पति–रामेश्वरमहली, ग्राम–कोकरोडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु,(ओ०पी०राहे) जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, के हाथों प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–08/06/18 को आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोइ आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की बिक्रेता घासी मुण्डा, पिता–स्व० देवान मुण्डा, ग्राम–कोकरोडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु,

जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, को क्रेता कुलोवती देवी, पति–रामेश्वरमहली, ग्राम–कोकरोडीह, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु,(ओ०पी०राहे) जिला–राँची, जाति–मुण्डा, पेशा–खेती, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 धारा 46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम पर नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
कोकरोडीह	सोनाहातु / 101	95	351	0.05 ए०

लेखापित एवं संशोधित।

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।

27/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।

बुण्डू।